

# CONTRACT

These terms and conditions are construed in accordance with the model Direct Selling Guidelines issued by the Govt. of India, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Consumer Affairs vide F. No. 21/18/2014-IT (Vol-II) dated 9th Sept. 2016 read with Indian Contract Act 1872 and supersedes any prior terms and conditions, discussions or agreements between Company and Independent Distributor.

Between **Kizaara International Retail Private Limited**, which is a company incorporated under Companies Act 2013 having its Registered Office at Flat - 103 & 104, Wing-F, Building-B, Suyojit One World Residency, Opp. Bytco College, Nashik Pune Road, Nashik – 422101 (Maharashtra, India) (Hereinafter referred to as '**Kizaara**') which expression shall, unless the context otherwise permits, include its successors and permitted assigns) of the one part herein after called as **First Party**. And The person / entity who has filed the online/offline application form available on Companies Website hereinafter referred to as '**Independent Distributor**' which expression shall unless repugnant to the context or meaning there of be deemed to mean and include his / her/ their legal heirs, executors, administrators and assignees of both the parties, hereby called as the **Second party**.

Whereas the first party is a registered company under Companies Act 2013 and the second party is willing to work with the first party after fully compliance of the Indian Contract Act 1872 read with the guidelines as provided by Govt. of India, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Consumer Affairs vide F.No. 21/18/2014-IT (Vol-II) dated 9th Sept. 2016 on the following **Terms and Conditions**.

1. That the second party undertakes that he / she / they are 18 years and above and are of sound mind and have not been convicted by any court of law.
2. The second party further agrees that all the information which includes documentary proof of personal identification and address proof, as per KYC process framed by the first party on its website furnished to the company is correct and properly entered. The company reserves the rights to accept or reject application given by the Independent Distributor at its own discretion.
3. That the first party agrees to allow the cooling off period of 30 days from the date of purchase/signing of Contract in order to cancel the agreement and to receive refund for goods or services purchased according to the buyback policy of the company.
4. The First party agrees to allow buyback / exchange of goods within 30 days of purchase of product as per the refund policies of the company.
5. The second party hereby agrees, not to represent, sale or distribute the products and brands of or any other direct selling company during the tenure of the agreement.
6. The second party agrees that they will provide all details of the first party i.e, Direct Selling entity to the prospective customer at the time of representing the company which includes description of the goods and services.
7. The second party hereby agrees that he / she / they shall carry their identity cards / and any other identification mark given by the first party and shall not visit the prospective customer's premises without prior appointment.
8. The second party hereby further agrees that at the initiation of the representation to the prospect they shall identify themselves truthfully and they will clearly represent the identity of the first party, nature of the goods along with services sold and the purpose of the solicitation to the prospect customer.
9. The second party hereby agrees he / she will render accurate and complete explanations and demonstrations of goods and services, prices, credit terms, payment terms, buyback/exchange/refunds policies and terms of guarantee after sales service or any other policies of the first party.
10. The second party undertakes that he / she / they will get the incentives as per the Compensation Plan of the first party.
11. The Second party at any point of time shall neither repack the product nor tamper the label of the products of the First Party.
12. The First party prohibits the second party to make bulk purchases.
13. The second party further agrees not to list, market, advertise, promote, discuss or sale any product or the business opportunity on any website / online portal / mobile application / online forum / or in any other manner without the prior approval from the first party.
14. The second party further agrees to pay all the Govt. taxes (Whatsoever of any kind) as and when applicable and shall not hold responsible the first party for the same.
15. The second party hereby agrees that they shall neither mislead the prospective customer nor shall do false, deceptive or unfair practices including misrepresentation of actual or potential sales or earnings and advantages of direct selling to any prospective customer in their interaction with prospective Independent Distributor.
16. The second party hereby agrees that they shall not make any factual representation to a prospective Independent Distributor, which cannot be verified or make any promise which cannot be fulfilled against the policies of the first party.
17. The second party hereby agrees that they shall not knowingly make, omit, engage cause or permit to be made, any representation relating to the direct selling operation, including Compensation Planned agreement between the parties, or the goods and / or services being sold by such Independent Distributor, which is false and / or misleading.
18. The second party hereby agrees that they shall not provide any literature and / or training material not restricted to collateral issued by the first party to a prospective customer and/or the second party within and outside the parent Direct Selling Entity which has not been approved by the first party.

19. The second party hereby agrees that, it will be their sole responsibility to sale the products, purchased from the first party by their skill, ability and personal application, goods / products once sold, will not be taken back under any circumstances other than the buyback policy of the first party and this risk of loss and damages shall be sustained by the second party only with their own cost. This risk is transferred to the second party immediately after pick-up of the product or on behalf of them i.e. agent or transport carrier etc, from the first party.
20. The second party hereby agrees to defend, indemnify and hold harmless to the first party against any liability, losses, damages or costs or any legal costs, incurred or suffered by the second party. As a result of any breach, negligence act or omission or willful default on the part of first party or their representative arising either directly or indirectly for the performance or non performance by the second party or on behalf of them.
21. The second party hereby acknowledges that in their relationship with the first party or by virtue of this agreement, they and their employees, shareholders, officers, directors, principals, agents and contractors (collectively representatives) shall hereafter continue to be entrusted with confidential information, the discloser of any information to competitors of the first party or to the general public would be highly detrimental to the best interest of the first party.
22. Both parties agree that the Compensation Plan shared on the company's website is the only Compensation Plan that is followed by the company. The Company shall not be responsible for any claims arising out by the Independent Distributors for incomes other than the compensation plan available on the website.
23. Both parties hereby agree that all control and monitoring of the practices and methods shall be controlled by the first party.
24. Kizaara Compensation Plan issues unique Independent Distributor Identification Number along with a Unique Business Centre which is restricted to single Pan Number. Both the parties agree that this Unique Business Centre is not transferable under any circumstances.
25. In case of Non Performance by the second party for the continuous 2 years First party will issue notice of Termination to the Second party. If the Second Party wishes to ask the First Party to review the decision to terminate, he / she shall make such a request to the First Party in writing within thirty (30) days from the date of notice of termination. If the First Party does not receive such request within the thirty (30) days period, the termination will automatically be deemed final.
26. Any Independent Distributor of the first party (Kizaara) is found to be working in another company and has committed fraud against the terms of use of the website, or is found to be doing evil of the company unnecessarily, while working against the company is found, is made by making false promises, or is found to be dealing with money incorrectly, then the account of such independent distributor will be terminated by the company and full right to claim penalty reserves.
27. All disputes, questions or differences what so ever which shall either during the substances of the agreement or after the termination there of arise the parties here to or their respective representatives, touching these presents or the construction or the application there of or anything here in contained shall be resolved under Indian Arbitration and Conciliation Act and / or its statutory amendments, modifications and re-enactment. The place of arbitration shall be Nashik (Maharashtra, India) only.
28. Both the parties have signed this contract after understanding the contents in their vernacular language with their free mind, and without any force / pressure whatsoever of any kind.

By clicking the agreed column, the second party undertakes that he / she / they have read & understood all the terms and conditions & Business plan mentioned in Registration Form, Contract and the Kizaara Compensation Plan and agree to abide by them.

## **अनुबंध (CONTRACT)**

इन नियमों और शर्तों को सरकार द्वारा जारी मॉडल डायरेक्ट सेलिंग दिशा निर्देशों के अनुसार माना जाता है। भारत के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने F.No. 21/18/2014-आईटी (खंड- II) दिनांक 9th सितंबर, 2016 को भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के साथ पढ़ा और किसी भी पूर्व को अधिगृहीत किया। नियम और शर्तें, चर्चा और कंपनी और इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर के बीच समझौते।

किज़ारा इंटरनेशनल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के बीच, जो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत, फ्लैट - 103 & 104, विंग-एफ, बिल्डिंग-बी, सुयोजित वन वर्ल्ड रेजीडेंसी, बिटको कॉलेज के सामने, नाशिक पुणे रोड, नाशिक - 422101 (महाराष्ट्र, भारत) (इसके बाद 'किज़ारा' के रूप में जाना जाता है) में पंजीकृत कार्यालय के तहत कंपनी शामिल है। जब तक कि संदर्भ अन्यथा अनुमति नहीं देता है, तब तक इसके उत्तराधिकारी और अनुमति दिए गए कार्य शामिल हैं, जिसमें प्रथम पक्ष के बाद कहा जाता है। वह व्यक्ति / संस्था जिसने ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदन पत्र कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है, उसके बाद 'इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जब तक कि उस संदर्भ या अर्थ के लिए प्रतिहिंसा न की जाए और उसका / उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को शामिल करने के लिए समझा जाए। निष्पादक, प्रशासक और दोनों पक्षों के कार्यपालक, इसके द्वारा द्वितीय पक्ष के रूप में कहा जाता है।

जबकि प्रथम पक्ष कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक पंजीकृत कंपनी है और दूसरा पक्ष सरकार द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के साथ भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के पूरी तरह से अनुपालन के बाद प्रथम पक्ष के साथ काम करने के लिए तैयार है। भारत का, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों का विभाग F.No. 21/18/2014-आईटी (खंड-II) दिनांक 9th सितंबर 2016 निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर।

1. यह कि दूसरा पक्ष यह दावा करता है कि वह (He)/ वे (She) / वे (They) 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं और ध्वन मन के हैं और उन्हें किसी भी कानून की सजा नहीं दी जा रही है ।
2. दूसरा पक्ष इस बात से सहमत है कि सभी जानकारी जिसमें व्यक्तिगत पहचान और पते के प्रमाण के दस्तावेजी प्रमाण शामिल हैं, जैसा कि कंपनी द्वारा सुसज्जित अपनी वेबसाइट पर प्रथम पक्ष द्वारा तय की गई केवाईसी (KYC) प्रक्रिया के अनुसार सही और ठीक से दर्ज किया गया है । कंपनी अपने स्वयं के विवेक पर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा दिए गए आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने के अधिकार सुरक्षित रखती है ।
3. यह कि प्रथम पक्ष समझौते को रद्द करने और कंपनी की बायबैक पॉलिसी के अनुसार खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के लिए धनवापसी प्राप्त करने के लिए अनुबंध की खरीद हस्ताक्षर की तारीख से 30 दिनों की कूलिंग ऑफ की अनुमति देने के लिए सहमत है ।
4. यह कि प्रथम पक्ष कंपनी की रिफंड नीतियों के अनुसार उत्पाद की खरीद के 30 दिनों के भीतर माल की वापसी / विनिमय की अनुमति देने के लिए सहमत है ।
5. दूसरा पक्ष एग््रीमेंट के कार्यकाल के दौरान किसी भी अन्य डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के उत्पादों और ब्रांडों का प्रतिनिधित्व, बिक्री या वितरण करने के लिए सहमत नहीं है ।
6. दूसरा पक्ष इस बात से सहमत है कि वे कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के समय संभावित ग्राहक को प्रथम पक्ष यानी डायरेक्ट सेलिंग इकाई के सभी विवरण प्रदान करेंगे जिसमें माल और सेवाओं का विवरण शामिल है ।
7. दूसरा पक्ष इस बात से सहमत है कि वह (He) / वह (She) / वे (They) अपने पहचान पत्र / और किसी भी अन्य पहचान चिह्न को प्रथम पक्ष द्वारा दिए गए हैं और पूर्व नियुक्ति के बिना संभावित ग्राहक के परिसर का दौरा नहीं करेंगे ।
8. इसके बाद दूसरा पक्ष इस बात से सहमत है कि प्रतिनिधित्व की दीक्षा के समय वे स्वयं को सच्चाई से पहचान लेंगे और वे स्पष्ट रूप से पहले की पहचान का प्रतिनिधित्व करेंगे पक्षों, बेची गई सेवाओं के साथ माल की प्रकृति और ग्राहक को संभावना, याचना का उद्देश्य ।
9. दूसरा पक्ष इसके लिए सहमत है कि वह सामान और सेवाओं, कीमतों, क्रेडिट, भुगतान शर्तों के सटीक और पूर्ण स्पष्टीकरण और प्रदर्शन प्रस्तुत करेगी वापस खरीदने / एक्सचेंज / पॉलिसी की बिक्री की सेवा या प्रथम पक्ष की किसी भी अन्य नीतियों के बाद नीतियों और गारंटी की वापसी ।
10. दूसरा पक्ष यह दावा करता है कि उसे प्रथम पक्ष के मुआवजा योजना के अनुसार प्रोत्साहन मिलेगा ।
11. किसी भी समय दूसरा पक्ष उत्पाद को न तो निरस्त करेगा और न ही प्रथम पक्ष के उत्पादों के लेबल में छेड़छाड़ करेगा ।
12. प्रथम पक्ष दूसरे पक्ष को थोक खरीद करने के लिए प्रतिबंधित करती है ।
13. दूसरा पक्ष किसी भी वेबसाइट / ऑनलाइन पोर्टल / मोबाइल एप्लिकेशन / ऑनलाइन फोरम / या किसी अन्य तरीके से किसी भी उत्पाद या व्यवसाय के अवसर की सूची, बाजार, विज्ञापन, प्रचार, चर्चा या बिक्री के लिए सहमत नहीं है, प्रथम पक्ष के पूर्व अनुमति के या बिना किसी अन्य तरीके से ।
14. दूसरा पक्ष सभी सरकार करों को भुगतान करने के लिए सहमत है । किसी भी प्रकार का कर के रूप में और जब भी लागू हो और उसके लिए प्रथम पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा ।
15. दूसरा पक्ष इस बात से सहमत है कि वे न तो संभावित ग्राहक को भ्रमित करेंगे और न ही गलत करेंगे, भ्रामक या अनुचित व्यवहार जिसमें वास्तविक या संभावित बिक्री या कमाई और किसी भी संभावित ग्राहक को सीधे बेचने के फायदे, संभावित इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ बातचीत में शामिल हैं ।
16. दूसरा पक्ष इस बात से सहमत है कि वे एक संभावित इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कोई तथ्यात्मक प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, जिसे सत्यापित नहीं किया जा सकता है या वह कोई वादा नहीं कर सकता है । जो प्रथम पक्ष की नीतियों के खिलाफ पूरा नहीं किया जा सकता है ।
17. दूसरा पक्ष इस बात से सहमत है कि वे जानबूझकर गलत नहीं करेंगे, छोड़ना, संलग्न कारण या परमिट बनाने के लिए मुआवजा सहित प्रत्यक्ष बिक्री संचालन से संबंधित कोई भी प्रतिनिधित्व पक्षों के बीच योजनाबद्ध समझौते, या ऐसे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा बेची जा रही वस्तुओं और / या सेवाओं, जो गलत है और / या भ्रामक है ।
18. दूसरा पक्ष इस बात से सहमत है कि वे कोई साहित्य और / या प्रशिक्षण सामग्री प्रदान नहीं करेंगे प्रथम पक्ष द्वारा संभावित ग्राहक और / या दूसरे को जारी किए गए संपार्श्विक तक सीमित नहीं है । पैरेंट डायरेक्ट सेलिंग एंटीटी के भीतर और बाहर की पक्षों जिसे प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है ।
19. दूसरा पक्ष इस बात से सहमत है कि, उत्पादों को बेचने की उनकी एकमात्र जिम्मेदारी होगी, प्रथम पक्ष से खरीदे गए कौशल, क्षमता और व्यक्तिगत आवेदन, एक बार बेची गई वस्तुओं या उत्पादों को, इसके अलावा किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लिया जाएगा । प्रथम पक्ष की बायबैक पॉलिसी और नुकसान और नुकसान का यह जोखिम दूसरे पक्ष द्वारा केवल अपनी लागत के साथ बरकरार रखा जाएगा । यह जोखिम उत्पाद के पिक-अप के तुरंत बाद या प्रथम पक्ष के एजेंट यानी ट्रांसपोर्ट कैरियर आदि की ओर से दूसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दिया जाता है ।
20. दूसरा पक्ष किसी भी दायित्व, नुकसान, क्षति या लागत या किसी भी कानूनी लागत के खिलाफ प्रथम पक्ष के लिए रक्षा करने, निंदा करने और नुकसान पहुंचाने के लिए सहमत है, दूसरे पक्ष द्वारा खर्च की गई या पीड़ित है । किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप, लापरवाही अधिनियम या चूक या प्रथम पक्ष या उनके प्रतिनिधि की ओर से डिफॉल्ट रूप से या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पक्ष द्वारा या उनकी ओर से प्रदर्शन या गैर प्रदर्शन के लिए उत्पन्न होगा ।
21. दूसरा पक्ष इस बात को स्वीकार करता है कि प्रथम पक्ष के साथ या इस समझौते के आधार पर, वे और उनके कर्मचारी, शेरधारक, अधिकारी, निदेशक, प्रिंसिपल, एजेंट और ठेकेदार (सामूहिक रूप से प्रतिनिधि) उसके बाद गोपनीय जानकारी देते रहेंगे । प्रथम पक्ष के प्रतियोगियों या आम जनता के लिए किसी भी जानकारी का प्रकटीकरण प्रथम पक्ष के सर्वोत्तम हित के लिए अत्यधिक हानिकारक होगा ।
22. दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि कंपनी की वेबसाइट पर साझा किया गया मुआवजा योजना एकमात्र मुआवजा योजना है जो कंपनी द्वारा अनुसरण की जाती है । वेबसाइट पर उपलब्ध क्षतिपूर्ति योजना के अलावा आय के लिए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा किए गए किसी भी दावे के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी ।
23. दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि प्रथाओं और विधियों का सभी नियंत्रण और निगरानी प्रथम पक्ष द्वारा नियंत्रित किया जाएगा ।

24. किज़ारा मुआवजा योजना एक विशिष्ट व्यवसाय केंद्र के साथ-साथ एक एकल पैन नंबर तक सीमित होने के साथ अद्वितीय इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर पहचान संख्या जारी करती है। दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि यह विशिष्ट व्यवसाय केंद्र किसी भी परिस्थिति में हस्तांतरणीय नहीं है।
25. लगातार 2 वर्षों तक दूसरे पक्ष द्वारा गैर प्रदर्शन के मामले में प्रथम पक्ष दूसरे पक्ष को समाप्ति की सूचना जारी करेगा। यदि दूसरा पक्ष समाप्त करने के निर्णय की समीक्षा करने के लिए प्रथम पक्ष से पूछना चाहता है, तो वह समाप्ति की सूचना की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर लिखित रूप में प्रथम पक्ष को ऐसा अनुरोध करेगा। यदि प्रथम पक्ष को तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर ऐसा अनुरोध प्राप्त नहीं होता है, तो समाप्ति को स्वचालित रूप से अंतिम माना जाएगा।
26. प्रथम पक्ष (किज़ारा) का कोई भी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर किसी दूसरी कंपनी में कार्यरत पाया जाता है और जिसने वेबसाइट की उपयोग की शर्तों के विरुद्ध कोई जालसाजी (धोखाधड़ी) की हो या बेवजह कंपनी की बुराई करते हुए पाया जाता है, कंपनी के विरुद्ध काम करते हुए पाया जाता है, झूठे वादे करते हुए पाया जाता है या पैसों का गलत तरीके से लेन - देन करते हुए पाया जाता है तो ऐसे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर के खाते को कंपनी समाप्त करने और जुर्माने का दावा करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखती है।
27. सभी विवाद, प्रश्न या मतभेद जो कभी भी हो, जो या तो समझौते के उप-काल के दौरान होगा या समाप्ति के बाद पार्टियों को यहाँ या उनके संबंधित प्रतिनिधियों को उत्पन्न करेगा। इन प्रस्तुतों या निर्माण या यहाँ या किसी भी चीज़ के आवेदन को स्पर्श करेगा। भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम या इसके वैधानिक संशोधनों और पुनः अधिनियम के तहत हल किया जाएगा। मध्यस्थता का स्थान केवल नाशिक (महाराष्ट्र, भारत) होगा।
28. दोनों पक्षों ने इस अनुबंध पर अपनी स्वतंत्र भाषा में सामग्री को अपने स्वतंत्र दिमाग से समझने के बाद, और किसी भी प्रकार के किसी भी बल / दबाव के बिना हस्ताक्षर किए हैं।

सहमत हुए कॉलम पर क्लिक करके, दूसरा पक्ष यह दावा करता है कि उसने पंजीकरण फॉर्म, अनुबंध और किज़ारा मुआवजा योजना में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत है।